वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादी की ओर से :– श्री विक्रमसिह भाटी।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या(7, 27,28,30,33,34):– श्री राजुराम चौधरी।
अप्रार्थीगण सख्या (40) की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 02/04/2025

वादी के हस्तगत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम भादा के खसरा नम्बर 211 रकबा 4.9533 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 6.3616 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 5.0909 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 4.1763 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 7.2843 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 4.8724 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 284 रकबा 8.5874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 14.7305 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 3.3022 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 7.3491 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 2.5171 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 301 रकबा 1.9101 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 329 रकबा 12.0677 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी भूमि स्थित है वादी ने वादग्रस्त भूमि का विधिवत बन्टवाड़ा करवाने के लिए वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 33 व 34 ओर से राजुराम चौधरी अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 32 व 35 से 39 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए। जिनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी और प्रतिवादीगण संख्या 01 का जबाब दावा शामिल मिसल करने पर वादी अधिवक्ता ने उभय पक्ष वादी के कब्जे काश्त अनुसार चक्कबन्दी करतें हुऐ अपने हिस्से की जमीन का बन्टवारा करना स्वीकार करने पर प्राथमिक डिक्री पर्वा दिनांक 14.07.2023 को जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

तहसीलदार बापिणी द्वारा तत्कालीन सहायक कलक्टर एंव उप–खण्ड अधिकारी लोहावट की तकास्मा रिपोर्ट तेहरीर दिनांक 18.07.2023 की अनुपालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ नोटिस क्रमाक 1038 से 1057 दिनांक 16.08.2023 को उभयपक्षकारों को सुचना देकर दिनांक 23.08.2023 को मौके पर उपस्थित रहने के बाबत जारी कर तय दिनांक को तहसीलदार बापिणी स्वयं मौके पर पहुचकर उभयपक्षकारों की उपस्थिति में विवादग्रस्त भूमि पर मौके के अनुसार हिस्सा व कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। उभयपक्षकारों तथा अन्य मौतबिरानों की उपस्थिति में

सहायक कलेक्टर बापिणी

तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.10.2023 को इस न्यायालय को प्राप्त हुये जिन्हें शामिल मिसल किया गया।

चूकि न्याय का सिद्वान्त यह कहता हैं कि अन्तिम निर्णय किये जाने से पुर्व प्रभावित पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष अपना मत रखने का हर संभव अवसर दिया जाना चाहिये। इसी सिद्वान्त की पालना करते हुऐ वादी एंव प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये पत्रावली को बहस के लिए नियत किया गया।

बहस के दौरान यह पुनः स्पष्ट हुआ कि वादी के वाद का मुख्य अनुतोष बंटवाडे. का हैं। अधिवक्ता वादी ने पुनः अपनी मांग को दोहराते हुये विवादग्रस्त भुमि का माफिक विभाजन प्रस्ताव बंटवाडा किया जा कर खाता अलग किये जाने की मांग की। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्यां 01 ने विरोध किया तथा बताया गया की जिन खसरों में वादी का नाम तक नहीं फिर भी उसका बन्टवारें का दावा कर हैं। ऐसे में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं हैं।

अतः वादी एंव प्रतिवादीगण की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के समय दोनों अधिवक्ताओं द्वारा व्यक्त किये गये तथ्य ओर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का यह अभिमत हैं कि एक रेकर्डेड खातेदार विभाजन करवाने का अधिकार रखता हैं और तहसीलदार बापिणी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मंजूर योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं तथा वादी के वाद को माफिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री योग्य पाया गया हैं।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भादा में स्थित वादी एंव प्रतिवादीगण की खातेदारी भुमि का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि

क्रम संख्या	नाम खातेदार	हिस्से मे रखे खसरे के नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	अर्जुनसिह पुत्र मोडसिह, जाति राजपुत सा. देह खातेदार	302	0.1942	बारानी चतुर्थ	
		321	1.2145	बारानी चतुर्थ	
		211	0.5503	बारानी द्वितिय	
		322	1.2145	बारानी चतुर्थ	
		284	2.0153	बारानी चतुर्थ	
		208	2.4281	बारानी	